

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1998 / 2024


दिनांक : 2 / .05.2024

सुश्री मीनाक्षी जैन (RJ00394), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर दिनांक 13.05.2024 से 16.05.2024 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री जैन की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


31/05/24
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/26/2002/ 4600

दिनांक : 3 / .05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर को उनके पत्रांक 25 दिनांक 17.05.2024 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री मीनाक्षी जैन (RJ00394), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर।


31/5/2024
सहायक रजिस्ट्रार